न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री समदरसिंह भाटी, आर.ए.एस

दिनांक – 17/07/23

क्रमांक रीडर/2023/ 1916

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1 करनाराम पुत्र हिमथाराम जाति जाट निवासी एएच–36 महावीर नगर बाडमेर शहर तहसील व जिला बाडमेर।		1 जितेन्द्र कुमार पुत्र श्यामनारायण जाति जाट निवासी जेताणियों की ढाणी नोख 2 कानूदेवी पत्नी कंवराराम जाति सुथार निवासी लूखों का तला रारली तहसील बाडमेर ग्रामीण 3 एवनकंवर पत्नी रतनसिंह 4 गुमानसिंह 5 जेतमालसिंह 6 जसवन्तसिंह 7 रविन्द्रसिंह पिसरान रतनसिंह जाति राजपूत निवासी बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर 8 तहसीलदार बाडमेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत

दिनांक– 04/07/23

राजस्व आवेदन संख्या :– 255/2023

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा बाडमेर आगोर पटवार क्षेत्र बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 3088/1784 रकबा 1.1331 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक– 17/07/23

क्रमांक :– रीडर/2023/ 1917–20

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बाडमेर आगोर तहसील बाडमेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. करनाराम पुत्र हिमथाराम जाति जाट निवासी एएच–36 महावीर नगर बाडमेर शहर तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर।
4. विप्रार्थी जितेन्द्र कुमार पुत्र श्यामनारायण वगैराह जाति जाट निवासी जेताणियों की ढाणी नोख तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर